आदिवासी विकास विभाग की जानकारी वर्ष 2011

(क) जिले की सामान्य जानकारी

1. खंडवा जिले में 2001 की जनसंख्या अनुसार 1078251 व्यक्ति निवास करते है, जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के 133378 व्यक्ति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के 340336 व्यक्ति निवास करते है, जो कुल जनसंख्या क्रमश 12.37 एवं 31.56 प्रतिशत है ।

2. खंडवा जिले में 07 विकास खंडः– खंडवा, पुनासा, छैगांवमाखन, पंधाना, हरसूद, बलडी एवं खालवा है जिसमें से खालवा विकास खंड आदिवासी विकास खंड है, जिसका संचालन एवं नियोजन आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है ।

3. आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा जिले में निम्नानुसार संस्थाओं का संचालन, निरीक्षण एवं नियत्रंण किया जाता है :–

(1) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,– 14	खालवा, आशापुर, खेडी,खार,सुंदरदेव, पटाजन, पाडल्या, गुलाई, आवल्या, रोशनी, सेंधवाल जामनीगुर्जर, देवलीकला,दिदम्दा
(2) आदर्श आवासीय विद्यालय– 01	आशापुर,
(3) एकलव्य आदर्श विद्यालय – 01	रोशनी
(3) हाईस्कूल– 20	बा./कन्या खालवा, ढकोची,, कन्या आशापुर, कोठा, सेंधवाल, रोशनी, उदियापुर, लखनपुरबंदी, भंगावा, मलगांव, कालाआमखुर्द, रजूर, सांवलीखेडा, सिरपुर, जामधड, सरमेश्वर, धावडी,जामन्याकाल,फेफरीसरकार
(4) आदिवासी बालक क्रीडा परिसर– 01	खालवा
(5) माध्यमिक शालाऐं– 81	
(6) प्राथमिक शालाऐं– 234	विभागीय प्राथमिक शालाए वि.खंड खालवा – 176 विभागीय प्रा.शालाएं सामान्य वि.खंड – 08 सेटेलाइट शालाएं–06 रा.गा.शि.मि.की प्राथमिक शालाए– 24 शिक्षा गारंटी केन्द्र– 18
(6) पोस्ट मैट्रिक छात्रावास– 05	1. आदिवासी बालक पोस्ट मैट्रिक छात्रावास खंडवा 2. आदिवासी कन्या पोस्ट मैट्रिक छात्रावास खंडवा 3. अनुसूचित जाति बालक पो. मैट्रिक छात्रा.खंडवा 4. पिछडा वर्ग कन्या पोस्ट मैट्रिक छात्रावास खंडवा 5. पो.मै.आदिवासी बालक छात्रावास हरसूद

(7) प्री.मैट्रिक छात्रावास– 55	1. आदिवासी प्री.मै.बालक छात्रावास–25 2. आदिवासी प्री.मै.कन्या छात्रावास–06 3. अनु.जाति प्री.मै.बालक छात्रावास–16 4. अनु.जाति प्री.मै.कन्या छात्रावास–08
(8) आश्रम शालाऐं– 33	1. आदिवासी बालक आश्रम शालाऐं– 21 2. आदिवासी कन्या आश्रम शालाऐं– 11 3. अनु.जाति बालक आश्रम शाालऐं– 01
(9) उत्कृष्ट छात्रावास (जिला स्तरीय) 02–	आदिवासी बालक उत्कृष्ट छात्रावास खंडवा आदिवासी कन्या उत्कृष्ट छात्रावास खंडवा
(10) उत्कृष्ट छात्रावास (खंड स्तरीय) 03–	आदिवासी बालक उत्कृष्ट छात्रावास खालवा आदिवासी कन्या उत्कृष्ट छात्रावास खालवा आदिवासी कन्या उत्कृष्ट छात्रावास पटाजन
(11) संयुक्त परियोजना छात्रावास– 02	1. सयुक्त परि. कन्या छात्रावास खंडवा 2. सयुक्त परि. बालक छात्रावास खंडवा
(12) विमुक्त जाति छात्रावास– 03	1. विमुक्त जाति बालक छात्रावास . खंडवा 2. विमुक्त जाति कन्या छात्रावास मलगांव 3. विमुक्त जाति कन्या छात्रावास भगवानपुरा
(13) क्रीडा परिसर छात्रावास –01	खालवा
(14) आवासीय छात्रावास –02	आशापुर, कन्या रजूर

आदिवासी विकास खण्डवा की जन कल्याण कारी योजनाओं संक्षिप्त की जानकारी

नाम य	विवरण
छात्रवृत्ति योजना	
राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 5	शासकीय या मान्यता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओ में कक्षा 1 से 5 वी तक अध्ययनरत अनुसूचित जाति ,जन जाति वर्ग की छात्राओ को 150/– की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ।
राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 60	शासकीय या मान्यता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओ में कक्षा 6 से 8 वी तक अध्ययनरत अनुसूचित जाति ,जन जाति एव पिछडा वर्ग की छात्र–छात्राओ को क्रमशः 200/–एवं 300/– तथा कक्षा 9 से 10वी के अनुसूचितजाति एवं जनजाति छात्र–छात्राओ को क्रमशः 600/–एवं 800/–एवं पिछडा वर्ग के छात्र–छात्राओ को क्रमशः 300/– एवं 400/– प्रदान की जाती है ।
पोस्ट मैटिक छात्रवृत्ति	विभाग द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछडा वर्ग के छात्र–छात्राओ को कक्षा 11 वी एंव 12 वी एवं महाविद्यालयीन कक्षाओ में अध्ययन करने हेतु प्रतिमाह विभीन्न दरो से छात्रवृत्ति एवं फीस प्रदान की जाती है ।
विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना	अनुसूचित जाति एवं जनजाति के युवाओ को विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उददेश्य से इस योजना में प्रति वर्ष 10 छात्र छात्राओ का चयन किया जाता है । विद्यार्थी को प्रति वर्ष अधिकतम रूपये 15 लाख तक छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है ।
कन्या प्रोत्साहन कक्षा 6 वी कक्षा 9वी एवं कक्षा 11 वी	विभाग द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति की छात्राओ को शिक्षा में प्रोत्साहन देने हेतु कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना संचालित है इसके अतंर्गत कक्षा 05 वी उत्तीर्ण कर कक्षा 6 वी में प्रेवश लेने वाली छात्रा को 500/– , कक्षा 08 वी उत्तीर्ण कर कक्षा 09 वी में प्रेवश लेने वाली छात्रा को 1000/– रूपये एवं कक्षा 10 वी उत्तीर्ण कर कक्षा 11 वी में प्रेवश लेने वाली छात्रा को 3000/– की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है ।

छात्रावास /आश्रम योजना	
छात्रवास/आश्रम शिष्यवृत्ति	कक्षा 6 से कक्षा 10 तक अध्ययनरत विद्यार्थियो को प्री मैटिक छात्रावास एंव उसके उपर कक्षाओ में अध्ययनरत छात्र छात्राओ को पोस्ट मेटिक छात्रावास में प्रवेश दिया जाता है । आश्रम शालाओ में कक्षा 1 से 8 तक के छात्र–छात्राओ को प्रवेश दिया जाता है । इन छात्रावास आश्रमो में निःशुल्क आवास, भोजन ,पानी,बीजली,बर्तन बिस्तर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवाओ की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है ।
आदिवासी	
राहत योजना	अपाहिज , निराश्रित, वृद्व , अधे एवं अतिसंकटापन्न व्यक्तियो को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर अधिकतम रूपये 2000/– राहत राशि प्रदान की जाती है ।

अत्याचार निवारण अधिनियम अतंर्गत दी गई राहत राशि	अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अतंर्गत इन वर्गो के व्यक्तियों को सर्वण समाज के व्यक्तियों द्वारा शोषित / प्रताडित किये जाने पर आकस्मिकता योजना अतंर्गत राहत राशि प्रदान की जाती है ।
अनुसूचित जाति	
राहत योजना	अपाहिज , निराश्रित, वृद्व , अधे एवं अतिसंकटापन्न व्यक्तियो को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर अधिकतम रूपये 2000/— राहत राशि प्रदान की जाती है ।
अत्याचार निवारण अधिनियम अतंर्गत दी गई राहत राशि	अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अतंर्गत इन वर्गो के व्यक्तियों को सर्वण समाज के व्यक्तियों द्वारा शोषित / प्रताडित किये जाने पर आकस्मिकता योजना अतंर्गत राहत राशि प्रदान की जाती है ।

आदिवासी विद्यार्थी कल्याण योजना	अनुसूचित जनजाति के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियो को , आकस्मिक विपत्ति पर रूपये 5000/— , मृत्यु होने पर (छात्रावास/आश्रम में निवासरत होने पर) 25000/—, विशेष रोग से पीडित होने पर इलाज हेतु 25000/—, विद्यार्थीयो को सामूहिक एवं व्यक्तिगत आवश्यता हेतु 3000/— तथा विशेष अभिरूचि को प्रोत्साहन देने हेतु 1000/— की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ।
अतंरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना	इस योजना में सर्वण समाज के लडके/लडकी द्वारा अनुसूचित जाति के लडके/लडकी से विवाह करने पर रूपये 50000/— की प्रोत्साहन राशि एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है ।
सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना	राज्य शासन से संघ लोक सेवा आयोग एवं मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षाओं में विभिन्न स्तरो पर सफल होने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियो को निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि विभाग द्वारा प्रदान की जाती है—

क्र	विवरण	यू.पी.एस.सी	एम.पी.पी.एस.सी.
1	प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर	40,000/—	20,000/—
2	मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर	60,000/—	30,000/—
3	साक्षात्कार उपरांत चयन होने पर	50,000/—	25,000/—

वन अधिकार अधिनियम 2006

अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत वन भूमि पर 31 दिसम्बर 2005 की स्थिति में काबिज जनजाति के लोगों को विहित प्रक्रिया के तहत हक प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने का प्रावधान है । इन वन अधिकार धारको को कृषि विकास के लिए कपिलधारा योजना अतंर्गत कूप निर्माण एंव सफल कूपों पर सिंचाई सुविधा हेतु डीजल/विधुत पंप प्रदाय किये जाने का अभिमान शुरू किया गया है ।

वन अधिकार अधिनियम 2006 अन्तर्गत प्राप्त दावें एवं निराकरण की अद्यतन प्रगति जुलाई 2011

विवरण	कुल प्राप्त दावें	वन अधिकार समितियों द्वारा सत्यापित दावें	ग्राम सभा द्वारा संकल्प पारित	उपखंड स्तर समिति द्वारा संकल्प पारित	जिला स्तरीय समिति द्वारा अंतिम विनिश्चय / निर्णित प्रकरण			वितरीत हक प्रमाण पत्र
					निरस्त	स्वीकृत	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जनजाति के दावें	11221	11221	11221	11221	1836	9385	11221	9385
परम्परागत निवासियों के दावें	596	596	596	596	181	415	596	415
समुदायिक दावें	101	101	101	101	_	101	101	101
योग	11918	11918	11918	11918	2017	9901	11918	9901

आदिवासी विकास विभाग की विभागीय योजनाओ की जानकारी मार्च 2011 अतं

क्र	नाम योजना	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक उपलब्धिया	वित्तीय उपलब्धिया
	आदिवासी				
1	राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 5 तक	38580	57.87	38580	57.87
2	राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 10 तक	30375	115.46	29425	112.91
3	पो.मै. छात्रवृत्ति	2608	148.48	2608	137.58
4	कन्या प्रोत्साहन कक्षा 6 वीं	2608	13.04	2608	13.04
5	कन्या प्रोत्साहन कक्षा 9वीं,	657	6.57	657	6.57
6	कन्या प्रोत्साहन कक्षा 11वीं,	305	9.15	305	9.15
	अनुसूचित जाति				
7	राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 5 तक	16000	24	16000	24
8	राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 10 तक	13677	64.4	13677	64.4
9	अस्वच्छ धंधा राज्य छात्रवृत्ति	44	1.5	44	1.5
10	पो.मै. छात्रवृत्ति	2934	231.06	2934	231.06
11	कन्या प्रोत्साहन कक्षा 6 वीं	1546	7.73	1546	7.73
12	कन्या प्रोत्साहन कक्षा 9वीं,	699	6.99	699	6.99
13	कन्या प्रोत्साहन कक्षा 11वीं,	313	9.39	313	9.39
	पिछडा वर्ग				
14	राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 10 तक	38249	90.6	38249	90.6
15	पो.मै. छात्रवृत्ति	5650	413	5647	412.85
	आदिवासी				
16	छात्रावास शिष्यवृत्ति	1610	94.46	1610	87.61
17	आश्रम शिष्यवृत्ति	2129	127	2129	116.45
	अनुसूचित जाति				
18	छात्रावास शिष्यवृत्ति	1090	70.32	1090	70.32
19	आश्रम शिष्यवृत्ति	86	-	86	86
20	आदिवासी विधार्थी कल्याण योजना	440	0.36	440	0.36
21	अनु0जाति विधार्थी कल्याण योजना	42	0.22	42	0.22
	आदिवासी				
22	राहत योजना	56	0.77	56	0.77
23	अत्याचार निवारण अधिनियम अतंर्गत दी गई राहत राशि	51	12.44	51	12.44

क्र	नाम योजना	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि
	अनुसूचित जाति				
24	राहत योजना	36	0.48	36	0.48
25	अत्याचार निवारण अधिनियम अतंर्गत दी गई राहत राशि	55	11.1	55	11.1
26	अस्पृश्यता निवारणार्थ आदर्श ग्राम पंचायत पुरूस्कार	1	1	1	1
27	अतंरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना	13	6.5	13	6.5
28	आदिवासी अशासकीय अनुदान प्राप्त संस्थाओ को अनुदान	50	6.55	50	6.55
29	अनुसूचित जाति अशासकीय अनुदान प्राप्त संस्थओ को अनुदान	20	3.98	20	3.98
	सिविल सेवा प्रोत्साहन				
30	आदिवासी	2	0.4	2	0.4
31	अनुसूचित जाति	1	0.1	1	0.1
32	पिछडा वर्ग	2	0.65	2	0.65
33	शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली ग्रम पंचायत पुरूस्कार	1	0.25	1	0.25
34	आदिवासी बस्ती विकास योजना	61	231.44	61	231.44
35	अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना	65	266.43	65	266.43
	आदिवासी				
36	आदिवासी मजरे / टोलों का विघुतीकरण	40	297	40	297
37	अनु. जनजाति के कृषकों के कुओं तक विघुत लाइन का विकास	201	266.18	201	266.18
	अनुसूचित जाति				
38	अनु. जनजाति एकल बत्ती कनेक्शन	250	6.99	250	6.99
39	मजरे / टोलों का विघुतीकरण	5	18	5	18
40	अनु.जाति / जनजाति के कृषकों के कुओं तक विघुत लाइन का विकास	80	147.05	80	147.05